

ISSN : 2349-638X
Impact Factor : 6.293

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि एकविंशत्ये शतक

: संपादक :
डॉ. लहु वाघमारे



SPECIAL ISSUE No. 75, Vol.1
SPECIAL ISSUE PUBLISHED BY
AYUSH INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL
Peer Review & Indexed Journal | ISSN 2349-638X | Impact factor 6.293
E-mail ID : airjournal@gmail.com
www.airjournal.com
Mob. 8999250451

Impact Factor - 6.293

ISSN-2349-638x



**Aayushi
International Interdisciplinary
Research Journal (AIIRJ)**

PEER REVIEWED & INDEXED JOURNAL

Special Issue No.75

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि एकविसावे शतक

Editor

Dr. Lahu Waghmare

Executive Editor

Dr. Anil Singare

Dr. Arvind Kadam

Co- Editor

Dr. Omshiva Ligade

Prof. Amol Pagar

IMPACT FACTOR

SJIF 6.293

For details Visit our website

www.aiirjournal.com

Sr.No.	Name Of Author	Title Of Paper	Page No.
74	डॉ. बालाजी श्रीपती भुरे	संवैधानिक मानवाधिकार के बहाने स्त्री विमर्श	305
75	डॉ.मा.ना.गायकवाड	डॉ.जयप्रकाश कर्दम की कविताओं में अम्बेडकरवाद	310
76	प्रा. देवेंद्र मगनभाई बहिरम	आंबेडकरवाद से प्रेरित हिंदी काव्य की प्रासंगिकता	315
77	प्रा. नयन भादुले - राजमाने	डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर : महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण	319
78	Dr. M. M. Betkar	Legendary hero: Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar	322
79	Dr. Abida Begum	Analysis of Social and Political Thoughts of Mhatma Gandhi And Dr.B.R.Ambedkar	324
80	Dr. Amita Valmiki	Ambedkar, Gramsci and Neo-Buddhism: A Philosophical Introspection	327
81	Dr.Abasaheb Dhondiba Jadhav	The Economics Thought of Dr.Babasaheb Ambedkar	330
82	Ajay Hatesing Solanke	The Challenges of 21st Century Indian Democracy and Dr. B. R. Ambedkar Thoughts on Democracy	334
83	M. B. Bhatade, S.C. Karanje P. G.Joshi	Dr. Babasaheb Ambedkar's Best Precious Thoughts	337
84	Mr.Datta Uttamrao Kuntewad	Dr. B.R Ambedkar towards the Empowerment of Indian Women	340
85	Dr.Balu Atmaram Kamble	Dr. Babasaheb Ambedkar's Perceptions on Development in Scenario of 21st Century	344
86	Dr. Dattatraya Kharatmol	Dr. Babasaheb Ambedkar : The Unsentimental Historian	347
87	Dr. Madhav Pandurangrao Palmate	Aspects of Dr. B. R. Ambedkar's Thought	350
88	Dr. Maroti Ganpati Lone	Dr. Babasaheb Ambedkar's Contribution towards the Welfare of Indian Labourers	354
89	Prof. Pranali Karnik	Contemporary Relevance of Dr. Ambedkar's Contribution in Economics	359
90	Smt.Pratibha Bhimrao Gaikwad	Dr. B.R. Ambedkar Role in Woman Empowerment	363
91	Prof. R. R. Borse	Dr.Ambedkar : An Economic Liberator of Women	365
92	G. Ramana Reddy	Relevance of Dr.Ambedkar's Ideology in 21st Century	368
93	Dr. Vinod Sidram Sonwane	Dr. B.R. Ambedkar's Views on Untouchability Expressed in Waiting for a Visa- A Critical Study	370
94	प्रा. कल्पना उत्तमराव झांबरे	२१ शतक : तदपि भारतस्य संविधान :	373
95	श्री.सातलिंग गौड	डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आजचे वास्तव	375
96	Mohammed Azmat UIHaq	*ڈاکٹر امبیڈکر: اردو شاعروں کی نظر میں*	378
97	Dr. Ramesh Hanmanthappa Mulge	ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆ:	382

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण

प्रा. नयन भादुले - राजमाने

गोविंदलाल कन्हैयालाल जोशी (रात्रीचे) वाणिज्य महाविद्यालय,
लातूर.

प्रस्तावना :

डॉ. भीमराव आंबेडकर एक महान नारीवादी चिंतक थे। उन्होंने अपने जीवनकाल में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रमुख भूमिका निभाई है। उनका कहना है कि पूर्व भारत में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। उन्हें सम्मान दिया जाता था। उन्हें पढ़ने-लिखने का भी हक्क था। इतना ही नहीं तो धार्मिक विधी भी वह कर सकती थी। लेकिन उसके बाद स्त्रियों कि दयनीय व चिंताजनक बन गयी। मनु की 'मनुस्मृति' में उन्होंने स्त्रियों के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक विकास पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया।

डॉ. भीमराव आंबेडकर महिलाओं की उन्नति के प्रबल पक्षधर थे। डॉ. आंबेडकर के विचारों पर गौतम बुद्ध के विचारों का प्रभाव था। उनका कहना था कि किसी भी समाज का मूल्यांकन इस बात से किया जाता है कि उस समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है? भारत में महिलाओं की स्थिति में बदलाव आये इसलिए उन्होंने प्रयास किया। उनमें एक प्रयास याने 'हिंदू कोड बिल'। महिलाओं को अधिक अधिकार देने तथा उन्हें सशक्त बनाने के लिए सन 1951 में उन्होंने 'हिंदू कोड बिल' संसद में पेश किया। उनका मानना था कि सही मायने में प्रजातंत्र तब आयेगा जब महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बटावरी का हिस्सा मिलेगा और उन्हें पुरुषों के समान अधिकार दिए जाएंगे। उन्हें विश्वास था कि महिलाओं की उन्नति तभी संभव होगी जब उन्हें घर-परिवार और समाज में बराबरी का दर्जा मिलेगा।

हिंदू धर्मशास्त्र कभी महिला सशक्तिकरण के पक्ष में नहीं था यह प्रमाण मनुस्मृति से मिलता है। "बालपन में पिता, युवावस्था में पति और बुढ़ापे में पुत्र उसकी रक्षा करें, स्त्री स्वतंत्र होने के लायक नहीं है।" ¹

नारी विरोधी परम्पराओं, मान्यताओं एवं कुरितियों का विरोध उन्होंने किया। आंबेडकर का मानना था कि समाज का आधार स्त्री-पुरुष दोनों का समान महत्त्व भी है। परंतु फिर भी सामाजिक जीवन में स्त्री को पुरुष के समान अधिकार व स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, वे घर की चारदीवारी तक ही सीमित है, जबकि सामाजिक व पारिवारिक दृष्टी से पुरुष की अपेक्षा स्त्री की भूमिका हमेशा अधिक सहयोगी एवं लाभदायी रही हैं।²

उन्होंने स्त्री को ही समाज का मुख्य आधार माना। स्त्री, माँ, बहन, बेटी, एवं पत्नी के रूप में पुरुषों का अपना सहयोग और लाभ देती है। परंतु यह एक त्रासदी है कि पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता रहा है। उन्हें सामाजिक, पारिवारिक जीवन में किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। उनका शोषण होता है। वे ये भी कहते कि स्त्रियाँ धर्म, कर्म, देव और स्वर्ग के नाम पर मनुवादी मान्यताओं को स्वीकार करती हैं, और अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों एवं अन्यायों का समर्थन करती हैं।³

स्त्रियों की अज्ञानता का प्रमुख कारण व अशिक्षा को मानते थे क्योंकि धर्म ग्रंथों ने स्त्री शिक्षा का विरोध किया गया था। वे मनु की इस बात का विरोध करते थे कि यदि स्त्री शिक्षा प्राप्त करेगी तो कुमार्ग पर चलेगी और अकाल वैधव्य को प्राप्त करेगी।⁴

उन्हें लगता था कि धर्म ग्रंथों में प्रतिष्ठापित स्त्री प्रतिमा को स्त्री स्वयं खंडित करें। महिलाएं पुरोहितवाद के शिकंजे से स्वयं को मुक्त करें और अपने अंधविश्वास, रुढ़िवादी, मजहबी, पाखंडों, आडम्बरों से मुक्त होने की स्वप्रेरणा ले। वे कहते नारी को ओजस्वी शक्तिशाली एवं अधिकार सम्पन्न प्रतिभा का निर्माण करके नारी के प्रति समाज की मानसिकता बदलनी चाहिए जिससे नारी को स्वतंत्रता एवं समता का पूर्ण अधिकार मिल सके।⁵ सशक्त महिलाओं का वे समर्थन करते थे। जब तक लज्जा, मर्यादा के नाम पर कुर्बान होकर स्वयं को घोटने की प्रवृत्ति का परित्याग महिलाएँ नहीं करेंगी तब तक उनका उत्थान होना कठिन होगा। अतः अपनी मुक्ति का मार्ग उसे स्वयं खोजना होगा एवं जब तक वह स्वयं पर विश्वास पाने के लिए हाथ-पैर नहीं मारेगी तक तक उसकी स्थिति में बदलाव की कोई संभावना नहीं है। नारी को स्वयं सशक्त होना पड़ेगा तभी उसे शिक्षा - दीक्षा, सुख - शांति और मूल अधिकार प्राप्त होंगे।⁶

अंबेडकर ने महिलाओं से सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं का सामना करने के लिए महिलाओं का अवाहन करते हुए कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए खुलकर मंच पर आना होगा तभी सशक्तिकरण की नई सुबह एक सार्थक संदेश लेकर आएगी।⁷

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का समर्थन वे करते हैं। उनका मानना था कि महिलाएं जनसंख्या में लगभग आधा भाग होने के कारण राष्ट्र की आर्थिक संरचना को प्रभावित करती हैं तथा कोई भी राष्ट्र महिला एवं पुरुषों के सम्मिलित प्रयासों से बनता है। आधी जनसंख्या की शक्तियों की उपेक्षा ने तो राज्य एवं समाज के हित में है न ही स्वयं पुरुषों के। महिलाओं की क्षमताओं को पूर्ण विकसित किए बिना किसी भी आर्थिक व्यवस्था का विकास संभव नहीं है। एवं महिलाओं के आर्थिक सुदृढीकरण की अवधारणा एकांगी नहीं है बल्कि सम्पूर्ण सामाजिक प्रक्रिया महिलाओं की स्थिति से प्रभावित होती है। महिलाओं के शिक्षित व आर्थिक रूप से सुदृढ बनाने के दूरगामी प्रभाव परिवार व सम्पूर्ण समाज पर परिलक्षित होंगे। उनके विचारों के अनुसार देश के बच्चे कुशल नागरिक तभी बन सकेंगे जब उनकी माताएँ आत्मनिर्भर होंगी। क्योंकि आत्मनिर्भर महिलाएँ जीवन के आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में निर्णायक भूमिका अदा कर सकती हैं।⁸

अंबेडकरजीने संविधान के जरिये महिलाओं को वे अधिकार दिए जो मनुस्मृति ने नकारे थे। उन्होंने राजनीति और संविधान के जरिये भारतीय समाज में स्त्री-पुरुष के बीच असमानता की गहरी खाई मिटाने का सार्थक प्रयास किया। जाति-धर्म व लिंग निरपेक्ष संविधान में उन्होंने सामाजिक न्याय की परिकल्पना की है। 'हिंदू कोड बिल' के जरिये उन्होंने संवैधानिक स्तर से महिला हितां की रक्षा का प्रयास किया।

इस बिल में मुख्यतः चार अंग थे।

1. हिंदूओं में बहू विवाह की प्रथा को समाप्त करके केवल एक विवाह का प्रावधान, जो विधिसम्मत हो।
2. महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देना और गोद लेने का अधिकार देना।
3. पुरुषों के समान नारियों को भी तलाक का अधिकार देना, क्योंकि पहले हिंदू समाज में पुरुष ही तलाक दे सकते थे।
4. आधुनिक और प्रगतिशील विचारधारा के अनुरूप हिंदू समाज को एकीकृत करके उसे मजबूत करना।

वे कहते मुझे भारतीय संविधान के निर्माण से ज्यादा दिलचस्पी और खुशी हिंदू कोड बिल पास कराने से होगी। "किसी भी समुदाय की प्रगति महिलाओं की प्रगति से आंकी जाती है।"9

'दलित इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री' (डिक्की) की महिला इकाई की अध्यक्ष अनिता नायक कहती हैं अंबेडकर का सभी शोषित वर्गों के लिए आर्थिक दर्शन बेहद अहम है। उनका आर्थिक दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा प्रयास है कि महिलाएं शिक्षा के साथ रोजगार एवं व्यवसाय के साथ भी बड़ी संख्या में जुड़े। ओमी कहते हैं कि डॉ. अंबेडकर का महिला सशक्तीकरण को लेकर मूलमंत्र शिक्षा था। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को समाज के विकास के लिए बहुत आवश्यक बताया था।

चंद्रभान प्रसाद का कहना है, अंबेडकर के व्यक्तित्व को सिर्फ दलित चेतना और दलित उत्थान के ईर्द-गिर्द नहीं रखा जा सकता।

अंबेडकर जी ने भारतवर्ष की तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनैतिक व्यवस्था का सूक्ष्म अध्ययन करके जाना कि सभी समस्या के समाधान की मूल शर्त सामाजिक न्याय और परिवर्तन की क्रांति से है, न की अन्य किसी उपाय से है।

अंबेडकर ने यह जाना था कि भारतीय महिलाओंके शोषण, उत्पीडन, अज्ञान, अपमान और सामाजिक विषमता की मूल वजह कुछ और नहीं बल्कि भेदभावपूर्ण समाज व्यवस्था और शिक्षा का अभाव है। महिलाओं के सामाजिक परिवर्तन के उद्देश से उन्होंने महिलाओं को आंदोलन में शामिल किया।

आजदी से पहले भारत की राष्ट्र व्यवस्था में धार्मिक नीतिनिर्देशों का बोलबोला होने के कारण अंबेडकर ने महिला सशक्तीकरण के रूप में प्राचीन नीति निर्देश विधी मनुस्मृति का दहन किया। इस घटना के बाद स्त्री आंदोलन को एक व्यापक रूप मिला।

निष्कर्ष :

में हम कह सकते हैं, डॉ. अंबेडकर द्वारा नारी उत्थान के लिए किए गए सामाजिक - आर्थिक कार्यों का परिणाम है कि आज नारी प्रगति की ओर अग्रसर है। उनके द्वारा महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण के लिए किए गए सुधार एवं प्रयास भारतीय इतिहास में महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण थे। उन्होने महिलाओं को पारम्परिक भूमिका से आधुनिक भूमिका की ओर अग्रसर किया। तथा उनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने का प्रयास किया।

संदर्भ :

1. मनु स्मृति, अध्याय 9
2. सुकुन वासवान प्रजाचक्षु, भारत रत्न डॉ. अंबेडकर : सृष्टि और दृष्टि, भावना प्रकाशन, दिल्ली, 2002, पृ.344
3. एल.आर. बाली., डॉ. अंबेडकर ने क्या किया, भीम पत्रिका पब्लिकेशन्स, जालंधर, 1991, पृ.274
4. तेजसिंह अंबेडकरवादी : विचारधारा और समाज, स्वराज प्रकाशन, दिल्ली, 2008, पृ.194
5. तेजसिंह अंबेडकरवादी : विचारधारा और समाज, स्वराज प्रकाशन, दिल्ली, 2008, पृ. 196
6. राजेंद्र मोह भटनागर, डॉ. अंबेडकर : जीवन और दर्शन, किताब घर पब्लिशर्स, दिल्ली 1982 पृ. 260
7. योगेंद्र कुमार तिवारी, कैलाशचन्द्र शर्मा, हिन्दू विधि, राजस्थान ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 1990 पृ. 227
8. धनंजय कीर, डॉ. अंबेडकर : लाइफ एण्ड मिशन, पापूलर प्रकाशन, बम्बई 1962, पृ. 91
9. 20 जुलाई 1942 को नागपुर में बाबासाहेब ने 'अखिल भारतीय शोषित वर्ग महिला सम्मलेन' में कहा था।